भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(315)

नवीन प्रकरण - 1805/2006

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर ,म.प्र.

= =

निगरानी प्रकरण क्रमांक- सन्-

रि 1805-II/2006

1. लल्लू
2. जग्गू
पिता मुलुवा गड़रिया

निवासीगण ग्राम कटारा तहसील राजनगर

जिला छतरपुर,म.प्र. --- --------- आवेदकगण

बनाम

1. बल्दुवा तनय मरिया गड़रिया

निवासी ग्राम- कटारा तहसील राजनगर

व जिला छतरपुर,म.प्र.

2. शासन म.प्र. --- --------- अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, एडवोकेट द्वारा आज दि. 26-9-06 को प्रस्तुत।

26.9.06
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के निगरानी प्रकरण क्रमांक 714/अ-3/03-04 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2006

अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू.रा. संहिता 1959

मुकेश भार्गव
26-9-06 एडवोकेट
ग्वालियर

मान्यवर महोदय,

आवेदकगण की ओर से सादर निम्नलिखित विनय है:-

1. यह कि निगरानी प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगणों ने तहसील न्यायालय में वास्ते सीमांकन एवं तरमीम हेतु मौजूदा प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम कटारा स्थित भूमि सर्वे नं. 725/1, 727 एवं 728 रकवा क्रमशः 2.116 , 0.551 एवं 0.88 उसके भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है । जिसका विधिवत सीमांकन एवं तरमीम किया जावे । तहसील न्यायालय ने राजस्व निरीक्षक को मौके पर सीमांकन करके तरमीम प्रस्ताव मँगाये जाने का आदेश दिया जिसके पालन में राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी ने सरहददी कृषकों को व्यक्तिशः लिखित सूचना देते हुये पंचो के समक्ष आवेदकगण की उक्त भूमि का विधिवत सीमांकन जरीब चलकर करते हुये तरमीम प्रस्ताव प्रस्तुत

26.9.06

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1805–दो/2006

लल्लू आदि विरूद्ध बल्दुवा आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों ए अभिभाषव आदि के हस
28 –02–19 28/2/2019	आवेदक अभिभाषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया। अनावेदक को कई बार सूचना देने के उपरांत कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 714/अ–3/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 05–9–2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के प्रस्तुत की गई है। 3/ मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे प्रकट होता है कि तहसीलदार द्वारा सीमांकन प्रकरण में इश्तहार का प्रकाशन किया गया है तथा पंचनामा आदि भी तैयार किया गया है परन्तु उस पर आवेदक बल्दुवा के कोई हस्ताक्षर नहीं है। स्पष्ट है कि अनावेदक बल्दुवा के पीठ पीछे सीमांकन की कार्यवाही की गई है। इसी कारण अपील प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने पुनः उभय पक्षों की उपस्थिति में सीमांकन के आदेश दिये है। हितबद्ध एवं सरहदी काश्तकारों की उपस्थिति में ही सीमांकन किये जाने का प्रावधान है। अपर कलेक्टर द्वारा इस महत्वपूर्ण	

बिन्दु पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखने में त्रुटि की है। इसी कारण अपर आयुक्त ने अपने आदेश से अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–9–2006 स्थिर रखा जाता है।

उभयपक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(आर.के. जैन) 28/2/2019
सदस्य